



कार्यालय उप वनमंडलाधिकारी, वनमंडल बिस्तान, सामान्य वनमंडल खरगोन (म.प्र.)

ईमेल आई डी- sdoFTbistan@mp.gov.in मो. न.- 09424793277

खरगोन, दिनांक 06.10.2023

क्रमांक / तकनीकी / 2023 / 1956
प्रति,

विषय :- वनमंडलाधिकारी महोदय,
सामान्य वनमंडल खरगोन
सोनखेड़ी तालाब विकासखण्ड संधवा के निर्माण से प्रभावित वन भूमि प्रकरण में अभिलेख प्रस्तुत करने बाबत। प्रकरण क्रमांक / FP/MP/IRRYG/155614/2022।
संदर्भ :- आपका पत्र क्र. / मा.चि. / 2023 / 6042 दिनांक 07.07.2023 के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि, संदर्भित पत्र के माध्यम से वनपरिक्षेत्र सिरवेल अंतर्गत सोनखेड़ी तालाब विकासखण्ड संधवा के निर्माणसे प्रभावित वन भूमि प्रकरण के संबंध में जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

जिसके परिपालन में वनपरिक्षेत्र अधिकारी सिरवेल के कार्यालयीन पत्र क्र. / 1308 दिनांक 30.09.2023 से प्रकरण की जांच दिनांक 31.10.2022, 08.01.2023 एवं 23.03.2023 से अनुविभागीय अधिकारी संधवा, उपयंत्री, तत्का. वनपरिक्षेत्र अधिकारी सिरवेल, अधिनस्थ वनस्टाफ एवं कार्यरत एजेसी के अधिकारी/कर्मचारी को रखकर की जाकर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, जिसका अवलोकन करने पर निम्नानुसार वस्तुस्थिति पायी गयी—

- 1 प्रस्तावित स्थल बीट चिरमिरिया के कक्ष क्रमांक 1085, 1086 में होना पाया गया।
- 2 प्रस्तावित वनभूमि के स्थल के दो फोटोग्राफ्स संलग्न हैं।
- 3 प्रस्तावित योजना से प्रभावित वन भूमि की कक्षवार लम्बाई एवं चौड़ाई की गणना कर वनोपज की प्रजातिवार कक्षवार मूल्यांकन पत्रक संलग्न है।
- 4 प्रचलित कार्य आयोजना अनुसार प्रभावित वनभूमि का घनत्व 0.2 से 0.3 तक, आरक्षित वन तथा कार्यवृत्त वनग्राम एवं व्यवस्थापित अतिक्रमण केन्द्र प्रबंधन उपचार श्रेणी झामटा है।
- 5 प्रस्तावित वनक्षेत्र में वन्य प्राणीयो की गणना का प्रजातिवार विवरण संलग्न है।
- 6 ऐतिहासिक/पुरातत्व धरोहर न होने का प्रमाण पत्र संलग्न है।
- 7 वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होने का प्रमाण पत्र संलग्न है।
- 8 प्रस्तावित योजना के क्रियान्वयन पर औचित्यपूर्ण टीप संलग्न है।
- 9 न्यूनतम क्षेत्र उपयोग प्रमाण-पत्र संलग्न है।
- 10 प्रभावित नवभूमि का क्षेत्र पैमाना 1:20000 पर अंकित कर संलग्न है।
- 11 वन अधिकार अधिनियम 2006 अंतर्गत मूलभूत अधिकार प्रस्तावित न होना प्रमाण पत्र संलग्न है।

अभिमत — प्रस्तावित परियोजना (सोनखेड़ी तालाब निर्माण कार्य) हेतु प्रस्तावित स्थल कक्ष क्रमांक 1085 में मुख्य बांध की दिवार/मेड़ निर्माण की लम्बाई = 461 मीटर एवं चौड़ाई = 64 मीटर होकर कुल रकबा = 2.09 हेक्टर एवं मुख्य नहर की लम्बाई = 1790 मीटर एवं चौड़ाई = 06 मीटर होकर रकबा = 1.074 हेक्टर होकर जल भराव क्षेत्र, कक्ष क्रमांक 1085 में रकबा 11.11 हेक्टर एवं कक्ष क्रमांक 1086 में 0.60 हेक्टर होकर कुल प्रभावित रकबा = 14.87 हेक्टर है जो कि अपरिहार्य एवं न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण से भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होगी कृषकों को लाभ होगा तथा वन्य प्राणियों को पेयजल उपलब्ध होगा। तथा उक्त योजना से कुल 14.87 हेक्टर क्षेत्र प्रभावित होने से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा।

अतः वनपरिक्षेत्र अधिकारी सिरवेल से प्राप्त जांच प्रतिवेदन से सहमत होते हुवे जांच प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- उपरो.

(Handwritten signature)
D.F.O. 6/10



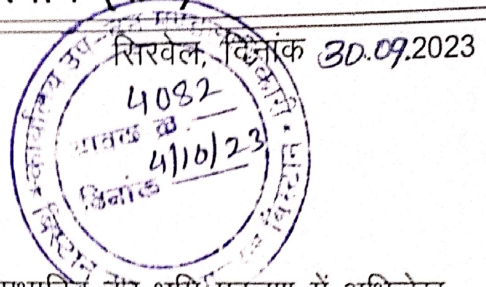
(Handwritten signature)
(हीरालाल पटेल)
उप वनमंडलाधिकारी, बिस्तान
सामान्य वनमंडल खरगोन



कार्यालय वनपरिक्षेत्राधिकारी सिरवेल

सामान्य वनमण्डल खरगोन (म.प्र.)

क्रमांक/मा.चि./2023/1308
प्रति,



श्रीमान वनमण्डलाधिकारी महोदय,
सामान्य वनमण्डल, खरगोन

द्वारा :- उप वनमण्डलाधिकारी, बिस्टान।

विषय :- सोनखेड़ी तालाब विकासखण्ड सेंधवा के निर्माण से प्रभावित वन भूमि प्रकरण में अभिलेख प्रस्तुत करने बाबद। प्रकरण क्रमांक/FP/MP/IRRYG/155614/2022।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/तकनीकी/2023/7268 खरगोन, दिनांक 11.08.2023।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देश अनुसार वन परिक्षेत्र सिरवेल के वन अधिकारी/वन कर्मचारियों एवं संबंधित विभाग/एजेंसी परियोजना जल संसाधन संभाग बड़वानी के अधिकारी, कर्मचारियों एवं वन विभाग सिरवेल के अधिकारी कर्मचारियों के साथ संयुक्त रूप से परियोजना (सोनखेड़ी तालाब निर्माण कार्य) हेतु प्रस्तावित वन भूमि का बीट चिरमिरिया के कक्ष क्रमांक 1085 एवं 1086 में दिनांक 31.10.2022, 08.01.2023 एवं 23.03.2023 को स्थल निरीक्षण कर पंचनामा तथा वन मानचित्र पर जी.पी.एस. निर्देशांको को चिन्हित किया जाकर प्रस्तावित वन भूमि में ली गई आपत्तियों की पूर्ति करने उपरान्त अन्य बिन्दुओं पर निम्ननुसार प्रतिवेदन स्पष्ट अभिमत सहित अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

1. प्रस्तावित वन भूमि के स्थल दो फोटोग्राफ संलग्न है।
2. योजना से प्रभावित वन भूमि की कक्षवार लम्बाई एवं चौड़ाई की गणना कर वनोपज की प्रजातिवार कक्षवार मूल्यांकन पत्रक संलग्न है।
3. प्रचलित कार्य आयोजना अनुसार प्रभावित वन भूमि का घनत्व 0.2 से 0.3 तक, आरक्षित वन तथा कार्यवृत्त वनग्राम एवं व्यवस्थापित अतिक्रमण केन्द्र प्रबंधन उपचार श्रेणी शामटा है।
4. प्रस्तावित वनक्षेत्र में वन्य प्राणीयों की गणना का प्रजातिवार विवरण संलग्न है।
5. ऐतिहासिक/पुरातत्व धरोहर न होने का प्रमाण पत्र संलग्न है।
6. वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होने का प्रमाण पत्र संलग्न है।
7. प्रस्तावित योजना के क्रियान्वयन पर औचित्यपूर्ण टीप संलग्न है।
8. न्यूनतम क्षेत्र उपयोग प्रमाण-पत्र संलग्न है।
9. प्रभावित नवभूमि का क्षेत्र पैमाना 1:20000 पर अंकित कर संलग्न है।
10. वन अधिकार अधिनियम 2006 अंतर्गत मूलभूत अधिकार न होने का प्रमाण-पत्र संलग्न है।

अभिमत:- प्रस्तावित परियोजना (सोनखेड़ी तालाब निर्माण कार्य) के लिये प्रस्तावित स्थल कक्ष क्रमांक 1085 में मुख्य बांध की दिवार/मेड़ निर्माण की लम्बाई = 461 मीटर एवं चौड़ाई = 64 मीटर होकर कुल प्रभावित रकबा = 2.09 हैक्टेयर एवं मुख्य नहर की लम्बाई = 1790 मीटर एवं चौड़ाई = 06 मीटर कुल रकबा = 1.074 हैक्टेयर होकर जल भराव क्षेत्र कक्ष क्रमांक 1085 में कुल रकबा 11.11 हैक्टेयर एवं 1086 में 0.60 हैक्टेयर होकर कुल प्रभावित रकबा = 14.87 हैक्टेयर है जो कि अपरिहार्य एवं न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण से भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होगी कृषकों को लाभ होगा तथा वन्य प्राणियों को पेयजल उपलब्ध होगा। उक्त योजना से कुल 14.87 हैक्टेयर प्रभावित होने से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा।

नोट :- " प्रभावित होने वाले वृक्षों के विदोहन पर होने वाले व्यय एवं परिवहन की गणना कर प्रतिवेदन प्रथम से प्रस्तुत किया जावेगा "

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

(जयदीप शर्मा)
वनक्षेत्रपाल
वनपरिक्षेत्राधिकारी सिरवेल

स्थान- अंबावाणी
 - संयुक्त स्थल निरीक्षण पंचनामा - कु.नं.- 1085, 1086
 दिनांक- 23.03.2023

हम निचे लिखे हुए अधोस्तथित -
 पंचनामा इस बात कि समय-समय तस्वीर करते है कि आज-
 दिनांक 23.03.2023 को ननभाटल स्कूलों में उद्देश्यपूर्ण
 नियंत्रण में आने वाली ननपरिक्षे सिखेल के ननभाटल में-
 सतउडा आर एफ डि बीट पिरमिडिया के कुंश कुंश 1085 एवं
 1086 स्थान अंबावाणी में प्रस्तावित परियोजना सोचकेही तलाब
 के निर्माण से ननभूमि के कुछ क्षेत्र बीट पिरमिडिया के कुंश कुंश
 आर एफ. 1085 एवं 1086 में रुकना कुल 14.87 हैक्टर में उभावि
 हो रहे रहे वृक्षों का वृक्ष, उजातिवर छाती गोल्डि पर वृक्ष
 में ब्लैज बनाउर पिहितकुर कुंश कुंश अंडितकुर संयुक्त गणना उभा
 एवं संयुक्त स्थल निरीक्षण कार्य दिनांक 20.03.2023 से
 23.03.2023 तक आगेरकु विभाग उलसंसाधन विभाग-
 अनुभाग संधन के अधिदारी / कुर्मियारियो श्री रविन्द्र डेडवा
 अनुविभागीय अधिदारी श्री देवेन्द्र नमो उपयेंती एवं अन्य
 कुर्मियारियो तथा ननपरिक्षे सिखेल के अधिदारी / कुर्मियारियो
 श्री दिनेशकुमार जगरे ननपरिक्षे अधिदारी सिखेल, श्री मोहन-
 बिलाडे परिक्षे सतउडा आर एफ, श्री शिवपाल भारती बीटगड
 पिरमिडिया एवं अन्य कुर्मियारियो कि उपस्थिती में दिया गया।
 वृक्षों कि गणना उभा में प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से
 मिश्रित एवं ईमारती उजाति के कुल 5.18 वृक्ष उभावि हो
 रहे हैं। मोडे से सके उभा के दौरान वृक्ष उजातियो कि कु.नं.
 1085 कि सूची तैयार कि गई। कु.नं. 1086 में वृक्ष नहीं पाए गए
 कुछ उभावि क्षेत्र छि जी.पी.एस. निर्देशांक लिख जाउर नन-
 मान्यित पर अंडित डिग गए। कुंश कुंश 1085 में 14.27 है.
 एवं कुंश कुंश 1086 में 0.60 है. ननभूमि उभावि हो रही है।

पंचनामा मेरे द्वारा लिखिक

दिया गया।

23/03/23
 D.K. Jombar
 R.A. Sirval

23/03/2023
 (मोहन-बिलाडे)
 परिर. सत. - आर एफ

23/03/23
 (Devendra Verma) S/E

23/03/2023
 शिवपाल भारती
 बीटगड पिरमिडिया

23/03/23
 S20 W 20
 sendhuw9

23/03/2023
 श्रीमंत वल
 गीट गड आर एफ

हम जिसे लिखे हुए (प्रोत्साहन) -
पंजाब इस बात के लिए - सप लक्ष्मी के तहत है कि आज
दिनांक 23.03.2023 को ननकाणाली रकबा में ननकाणाली
प्रशासक नियंत्रण में आने वाली ननकाणाली सिखेल के
ननकाणाली में सतपुड़ा और एक ही नई प्रिभरिया के तहत
क्रांक 1085 एवं 1086 स्थान अंगरानी में प्रस्तावित परि-
योजना सोनखेड़ी तालाब के निर्माण से नन भूमि के कुछ-
सेत बीट प्रिभरिया के तहत क्रांक और एक 1085 एवं
1086 में रकबा कुल 14.87 हेक्टर में प्रभावित हो रहे हैं।
वृक्षों का उखाड़, प्रजातिकार काती गोलाइ पर वृक्षों में -
ब्लैक बगडर प्रिभरिया, क्रांक अंडितपुर संयुक्त गणना -
कार्य एवं संयुक्त स्थल निरीक्षण कार्य दिनांक 20.03.2023
से 23.03.2023 तक कोलेरु विभाग जलसंसाधन विभाग
अनुभाग संचालन के अधिकारी / कर्मचारियों श्री रविंद्र डेडा
अनुविभागीय अधिकारी, श्री देवेन्द्र नगी उपर्युक्त एवं अन्य
कर्मचारियों तथा ननकाणाली सिखेल के अधिकारी / कर्मचारियों
श्री दिनेश कुमार जमेरे ननकाणाली अधिकारी सिखेल, श्री मोहन-
लाल परियोजना समायोजक, श्री प्रिभरिया भारतीय नदीगड -
प्रिभरिया एवं अन्य कर्मचारियों कि उपस्थिति में किया गया
वृक्षों कि गणना कार्य में प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से
प्रभावित एवं इंगरली प्रजाति के कुल 518 वृक्ष प्रभावित हो
रहे हैं / मौके से सर्वे कार्य के दौरान वृक्ष प्रजातियों कि
उ. नं. 1085 कि सूची तैयार कि गई / उ. नं. 1086 में वृक्ष नली
पाए गए / इन प्रभावित क्षेत्र कि जी.पी.एस. निर्देशांक
लिए जाकर नन मानचित्र पर अंकित किए गए / क्रांक क्रांक
1085 में मुख्य बांध की दिवार (मेड) का प्रभावित रकबा 2.09 है, मुख्य
नहर में प्रभावित रकबा 1.074 है, जल भराव क्षेत्र में प्रभावित
रकबा 11.11 हेक्टर एवं उ. नं. 1086 में जल भराव रकबा -
0.60 है कुल रकबा उ. नं. 1085 एवं 1086 में 14.87 हेक्टर
प्रभावित हो रहा है / उ. नं. 1085 में 14.27 है एवं उ. नं. 1086
में 0.60 है रकबा प्रभावित होगा /

पंजाब में हरा लिखित किया
गया /

23/03/23
D.V. Jamre
R.O. Simel

23.03.2023
(मोहन - सिखेल)
प्रिभरिया - जामरा

(Devedra Verma) S/E

प्रिभरिया
प्रिभरिया भारती
वी. गार्ड प्रिभरिया
23/03/2023

23/03/23
sendhu

पटेल
प्रिभरिया
वी. गार्ड
23/03/2023

KHARGONE DIVISION

गण उपरक्षेत्र विनयन-ग्रीड-चिरमिष्टि
कक्षक. RF-1085 गनयन समुदाय मेन RF

